न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 42/2022

अपीलार्थीगण

प्रतापसिंह पुत्र मंगलसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 06 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 363/2015 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 बाबत अपीलार्थी को ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म वरडा में से रकबा 0.03 हेक्टेयर भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलाधीन प्रकरण में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.1.2016 के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी तथा द्वितीय अपील राजस्व अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था। उसके बाद काफी समय तक उक्त प्रकरण दर्ज ही नही किया गया तथा अब दर्ज कर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। राजस्व अपील अधिकारी, पाली केम्प सिरोही द्वारा पारित निर्णय की पालना किये बिना ही अधनीस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2022 को पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय की पालना में पुनः प्रकरण [illegible] के संबंध में अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया है एवं [illegible] जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी [illegible] एकपक्षीय निर्णय [illegible] किया

......[illegible] पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है, अपीलार्थी को उसके कब्जे की भूमि से कभी भी भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को हल्का पटवारी से जिरह का अवसर भी नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी को विवादित भूमि से पूर्व में बेदखल किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। जिस बेदखली फर्द के आधार पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया गया है वह काननू साक्ष्य में पढने योग्य नही है, क्योंकि पूर्व की बेदखली फर्द को साक्ष्य में प्रदर्शित नही करवाया गया है। कथित बेदखली फर्द के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया है। पूर्व की बेदखली फर्द गलत बनाई गई है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा संवत 2072 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म वरडा में से रकबा 0.03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में दिनांक 22.2.2016 को निर्णय पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही) में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो बाद सुनवाई खारिज की गई। उसके बाद अपीलार्थी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्याालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.5.2018 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.1.2016 व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.3.2016 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विध सम्मत आदेश पारित करे। साथ ही, अपीलार्थी को भी निर्देश दिये गये कि वह अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष दिनांक 24.5.2018 तक आवश्यक रुप से साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करे। इस अवधि के बाद परीक्षण न्यायालय प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। यह कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.5.2018 की पालना में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.5.2018 तक कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 07.5.2018 की पालना में अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कई बार नोटिस जारी किये गये, लेकिन अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत किये। यह कि विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा षश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2072 में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म वरडा राजकीय बिलानाम में से रकबा 0.03 हेक्टेयर भूमि [illegible] अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चावर्ती अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई दिनांक 18.1.2016 पर अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ एवं सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 22.1.2016 नियत की गई, लेकिन नियत दिनांक 22.1.2016 पर अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.1.2016 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा की आदेश पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.1.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्याः 05/2016 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3.2016 के अनुसार अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्याः 30/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.5.2018 के द्वारा अपील अपीलार्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील संख्याः 05/2016 में इस न्यायालय (न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3.2016 एवं उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 363/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.1.2016 को अपास्त करके प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। साथ ही, अपीलार्थी को भी निर्देश दिये गये कि वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.5.2018 तक आवश्यक रुप से साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करे। इस अवधि के बाद परीक्षण न्यायालय प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.5.2018 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.5.2018 तक अधीनस्थ न्यायालय में कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोाटिस भी जारी किये गये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ एवं न ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका बेदखली फर्द दिनांक 15.6.2015 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पूर्व में दिनांक 15.6.2015 को विवादित भूमि के मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयान भी दिनांक 18.1.2016 को कलमबद्ध किये गये जिसमें हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को पूर्व में दिनांक 15.6.2015 को विवादित भूमि के मौके से बेदखल किया गया था। चूंकि राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलार्थी का षश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही हांने से खारिज किये जाने योग्य है, लेकिन यदि अपीलार्थी विवादित भूमि से 15 दिवस में स्वयं अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है एवं उप तहसीलदार, कालन्द्री विवादित भूमि का मौका-देखकर इस तथ्य की पुष्टि कर लेते है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि के मौके से भौतिक रुप से अतिक्रमण हटा लिया है, तो अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का पारित आदेश निरस्त रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:37:49 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि यदि अपीलार्थी विवादित भूमि से 15 दिवस में स्वयं अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में प्रस्तुत कर देता है एवं उप तहसीलदार, कालन्द्री विवादित भूमि का मौका देखकर इस तथ्य की पुष्टि कर लेते है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि के मौके से भौतिक रुप से कब्जा हटा लिया है तो अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त रहेगा। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2022 की पालना करवाई जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested